स्वच्छता सर्वेक्षण :सिटीजन फीडबैक में मप्र नंबर 1

36 लाख लोगों ने दर्ज किया ऑनलाइन फीडबैक

नवभारत न्यूज

भोपाल, 27 मई. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में शहरों की साफ-सफाई को लेकर लिए जाने वाले देशव्यापी सिटीजन फीडबैक में मध्यप्रदेश देश में पहले पायदान पर है। मध्यप्रदेश के 35.69 लाख से अधिक नागरिकों ने ऑनलाइन फीडबैक दर्ज किया है.

निकाय	शहर	सिटीजन फीडबैक
नगर निगम	जबलपुर	52.20%
नगर निगम	इंदौर	40.07%
नगर निगम	उज्जैन	28.30%
नगर पालिका	सेंधवा	69.56%
नगर पालिका	विजय राधोगढ़	63.62%
नगर पालिका	आगर	37.94%
नगर परिषद	कैमोर	71.17%
नगर परिषद	राउ	64.23%
नगर परिषद	शाहपुर बुरहानपुर	48.29%

27 मई तक दर्ज इस सिटीजन फीडबैक में मध्यप्रदेश के नागरिकों ने बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है. प्रदेश के नागरिक डिजिटल होने के मामले में भी देश में अव्वल हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्प को चरितार्थ करने एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मप्र देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है. इस बार के ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक के आंकड़े दर्शातें है कि प्रदेश डिजिटल इंडिया के मामले में भी अव्वल है. राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की टीम द्वारा इस वर्ष 360 डिग्री रणनीति अपनाई गई है. इस रणनीति के तहत सभी नगरीय निकायों के सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से 60 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई. इसके अतिरिक्त कचरा गाड़ियों के जरिए प्रचार-प्रसार, अखबारों, रेडियो और टीवी के माध्यम से ऑडियो संदेश प्रसारित किए गए, तथा शहरों में घर-घर जाकर भी जागरूकता अभियान चलाया गया.साथ ही, नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए राज्य स्तर से 1 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए. इसके अलावा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से भी राज्य के सोशल मीडिया पर नागरिकों को फीडबैक देने के लिए प्रेरित किया गया.

इनका कहना है...

मध्यप्रदेश के नागरिकों की जागरुकता और सफाई मित्रों के अथक परिश्रम व लगन से ही प्रदेश को स्वच्छता के मामले में देश में अग्रणी है. स्वच्छ भारत मिशन और सिटीजन फीडबैक में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए विभाग धरातल पर सक्रियता से कार्य कर रहा है.

कैलाश विजयवर्गीय,
मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास

हर जिला अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की पहल करे : सीएस

भोपाल, 27 मई. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में संवेदनशील प्रयास करे. लोक सेवा गारंटी, सी.एम. हेल्पलाइन और जनसुनवाई राज्य शासन के सुशासन के पैमाने हैं. सभी अधिकारियों को आमजन से जुड़े मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर संवेदनशील होकर कार्य करना होगा.

मुख्य सचिव जैन ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ योजनाओं, कार्यक्रमों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की. पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. मुख्य सचिव ने सुशासन के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की और कलेक्टर्स से कहा कि नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण हो. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को गंभीरता से लें. अवैध खनिज उत्खनन तथा भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करें. मुख्य सचिव जैन ने आगामी खरीफ सीजन की समीक्षा करते हुए प्रदेश में खाद, बीज और उर्वरक के पर्याप्त भंडारण पर संतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर्स से कहा कि उर्वरक और खाद का वितरण ई-विकास पोर्टल के माध्यम से किया जाए,

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने शैक्षणिक संस्थाओं के आस-पास के क्षेत्र को ड्रग फ्री जोन बनाने के लिए कहा है. उन्होंने निर्देश दिए कि विस्फोटक अधिनियम का पूरे प्रदेश में सख्ती से पालन किया जाए और आमजन को भी सूचना तंत्र में शामिल करें.

तय स्थानों पर की जाए कुर्बानी : सनवर

मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी किए दिशा-निर्देश

नवभारत न्यूज

भोपाल, 27 मई. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने ईद-उल-अजहा (कुर्बानी) को लेकर प्रदेशभर की वक्फ समितियों, मुतवल्लियों और प्रबंध समितियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश में साफ कहा गया है कि कुर्बानी केवल निर्धारित और चयनित स्थानों पर ही की जाए तथा शासन और प्रशासन के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने जारी निर्देशों में कहा है कि कुर्बानी स्थलों को चारों ओर से ढंककर रखा जाए और वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए. कुर्बानी के अवशेषों को सुरक्षित तरीके से नगर निगम या नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही डाला जाए. इसके साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लगाने और सरकारी आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. कुर्बानी के वीडियो या फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल न किए जाएं. ईद की नमाज केवल ईदगाह और मस्जिद परिसरों में ही अदा करने की अपील की गई है. यदि किसी स्थान पर अधिक भीड़ हो तो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.वक्फ बोर्ड के अनुसार प्रदेशभर में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, मदरसा और ईदगाह सहित लगभग 15 हजार वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं. सभी जिला और तहसील वक्फ समितियां निर्देशों का पालन करें.

योग और खजुराहो भारतीय संस्कृति के हैं स्तंभ : सीएम

▶ **खजुराहो में हुआ योग महोत्सव, वीडियो संदेश से किया संबोधित**

भोपाल, 27 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय योग परम्परा को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर स्वस्थ, जागरूक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

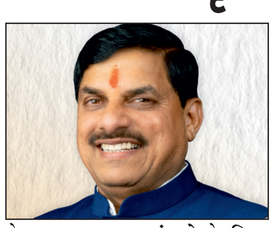

उन्होंने कहा कि योग और खजुराहो, दोनों ही सदियों से भारतीय संस्कृति के अभिन्न स्तंभ रहे हैं. हमारी सरकार योग के प्रचार के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है. योग को प्रदेश के घर-घर तक पहुंचाने के लिए आयुष विभाग द्वारा इन दिनों ''घर-घर योग-हर व्यक्ति निरोग' अभियान भी चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के 25 दिवसीय काउंटडाउन के अवसर पर खजुराहो में आयोजित 'योग महोत्सव 2026' कार्यक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया. वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग आज सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि 'वन अर्थ-वन हेल्थ' की भावना को साकार करने वाला जीवन दर्शन बन चुका है.

कार्यक्रम को केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव, उच्च शिक्षा, आयुष एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भी संबोधित किया.

एसडीओपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

बैरसिया, 27 मई. बैरसिया में ईद के पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है. बुधवार को एसडीओपी वैशाली करहलिया ने कुर्बानी स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने नपा सीएमओ राजेंद्र सक्सेना को पेयजलापूर्ति के साथ साफ-सफाई एव स्वच्छता के निर्देश दिए. एसडीओपी एव टीआई वीरेंद्र सेन ईदगाह पहुंचे और व्यवस्थाएं देखीं. इस अवसर पर शहर काजी उमर अहमद एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ट नागरिक उपस्थित थे.

पुलिसकर्मियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा दायरा बढ़ेगा

▶ **डीजीपी कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में हुई बैठक**

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 मई. पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएचपीएस) न्यासी मंडल ने कई महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

एक महत्वपूर्ण मानवीय निर्णय के तहत अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त पुलिस कर्मचारियों पर आश्रित छोटे भाई-बहनों एवं दिव्यांग परिजनों को भी योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया. बैठक में प्रदेशभर के अधिक से अधिक मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों को योजना से जोड़ने पर जोर दिया गया. वर्तमान में योजना के तहत प्रदेश के भीतर 55 तथा प्रदेश के बाहर चार निजी अस्पतालों सहित कुल 59 अस्पताल संबद्ध हैं.

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सहायता को मजबूत करने, उपचार प्रक्रिया को सरल बनाने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को तेज करने पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कहा कि पुलिसकर्मी चौबीसों घंटे नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित रहते हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा पुलिस संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने विशेष परिस्थितियों में मानवीय आधार पर त्वरित निर्णय लेने के लिए विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान की आवश्यकता पर भी बल दिया. बैठक में आश्रित परिवारजनों की पात्रता बढ़ाने, कैशलेस उपचार सुविधाओं को मजबूत करने तथा आपातकालीन चिकित्सा सहायता को अधिक प्रभावी बनाने पर भी विचार-विमर्श हुआ. इसके अलावा हार्ट अटैक और गंभीर सड़क दुर्घटनाओं जैसी जानलेवा परिस्थितियों में गैर-अनुबंधित निजी अस्पतालों में भी मरीज के स्थिर होने तक कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. न्यास मंडल ने कैंसर, अंग प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, कोमा, पैरालिसिस तथा ड्यूटी के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के मामलों में अधिकतम 14 लाख रुपये तक पूर्ण प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भी रखा है.

बैरसिया व कोलार के अधिकारी सम्मानित

भोपाल. जिले में जनगणना-2027 के पहले चरण का काम चल रहा है. अब तक बैरसिया नगर परिषद व कोलार ग्रामीण क्षेत्र में जनगणना का काम पूरा हो गया है. इस पर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कोलार तहसीलदार यशवर्धन सिंह और बैरसिया नगर परिषद के सीएमओ राजेंद्र कुमार सक्सेना को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और साथ ही जनगणना टीम को बधाई दी.

जिला सलाहकार समिति की मासिक बैठक हुई

भोपाल. पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आयोजित हुई. प्राप्त आवेदनों पर चर्चा, मासिक निरीक्षण रिपोर्ट, एक्ट के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई. सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समिति सदस्य सिविल सर्जन डॉ.संजय जैन, डॉ.शैलेश लूणावत, डॉ. रणधीर सिंह, जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय, डॉ.ज्योति खरे उपस्थित थे.

सत्यमेव जयते

फ.सं. 10 -3/2026 - टीएस. III
भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में निदेशक की नियुक्ति

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में निदेशक के पद हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा अन्य केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) के निदेशकों के समकक्ष यथा अनुप्रयोज्य ₹11,250/- प्रति माह के विशेष भत्ते और अन्य स्वीकार्य भत्तों सहित ₹2,10,000/- (निश्चित) के वेतनमान पर भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

एनआईटी के निदेशक से अकादमिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी नेतृत्व गुणों के साथ प्रमाणित प्रशासनिक, शिक्षण और अनुसंधान की पृष्ठभूमि (पीएचडी स्तर पर अनुसंधान मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण अनुभव सहित) हों। नियुक्ति, अनुबंध के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु की प्राप्ति तक, जो भी पहले हो, की जाएगी।

पात्र / इच्छुक व्यक्ति www.nitcouncil.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन विंडो 01.06.2026 से 30.06.2026 तक 12:00 बजे मध्यरात्रि तक खोली जाएगी। दोनों तिथियां शामिल हैं।

यदि अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच कोई असंगतता या अस्पष्टता है, तो अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।

अन्य आवश्यक जानकारी के साथ विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट http://education.gov.in और www.nitcouncil.org.in पर दिए गए हैं।

CBC 21260/11/0001/ 2627

पश्चिम मध्य रेल

निविदा सूचना, C/BPL/STBA Tender/2026, Date 26-05-2026

भोपाल मंडल के NSG-4, NSG-5 एवं NSG-6 श्रेणी के कुल 29 स्टेशनों पर एसटीबीए द्वारा अनारक्षित टिकट विक्रय जिनमें प्रत्येक स्टेशन में एक काउंटर के लिए 'स्टेशन टिकिट बुकिंग एजेंट" (STBA) नियुक्त किया जाना है जिसका विवरण निम्नलिखित है भोपाल मंडल के NSG-4, NSG-5 एवं NSG-6 श्रेणी के 29 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट विक्रय के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस टी बी ए.) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्रों का आंमत्रण। मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल, भोपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से भोपाल मंडल के अन्तर्गत शिवपुरी स्टेशन (NSG-4) पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी वर्तमान नीति के अनुसार अवधि लागू रहेगी जोकि 01 वर्ष तक की अवधि के लिए समय-समय पर रेलवे बोर्ड से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा। (NSG-5 एवं NSG-6) श्रेणी के निम्न 29 स्टेशनों के लिए STBA के कार्य की अवधि 03 वर्ष है।

S.No.	Category	STATION
1	NSG-4	SHIVPURI
2	NSG-5 & NSG-6	BIAORA RAJGARH, MANDI BAMORA, MANDIDEEP, MUNGAOLI, BARKHEDA, BARUD, BHIRANGI, BUDHNI, BIR, CHARKHERA KHURD, CHARKHERA, DEEWAN GANJ, GULAB GANJ, GUNERU BAMORI, KANJIYA, MAHADEVKHEDI, OBAIDULLA GANJ, PAGDHAL, PALASNER, PIPRAI GOAN, POWARKHEDA, SEMARKHEDI, SURGAON BANJARI, SUMER, SUKHI SEWANIA, DOLARIYA, DAGARKHAIDI, PABAI

उपरोक्त स्टेशनों को कमीशन के आधार पर कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट बिक्री हेतु स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस.टी.बी.ए.) नियुक्त करने हेतु इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। एस.टी.बी.ए. योजना का विवरण एवं नियम व शर्तों/सहित विस्तृत जानकारी www.wcr.indianrailways.gov.in वेब साइट पर उपलब्ध है। आवेदक नियम व शर्तों सहित आवेदन पत्र का प्रारूप उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र की मूल्य रूपये 1180/-/-(Non refundable) एवं आवेदन शुल्क STBA मद के अंतर्गत मनी रसीद (MR के रूप में देय होगा)। बयाना राशि NSG-6 श्रेणी के लिये रूपये 2000/- NSG-5 श्रेणी के लिये रूपये 5000/- NSG-4 श्रेणी के लिये रूपये 10000/- रहेगी जिसे **"वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक भोपाल,** पश्चिम मध्य रेल और Sr.DFM BPL/WCR के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी केवल TDR/FDR (बैंक द्वारा स्टाम्प और हस्ताक्षरित होना चाहिए) के रूप में स्वीकार किये जायेगे। एस.टी.बी.ए. हेतु आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली बयाना राशि (Earnest Money) की TDR/FDR आवेदक के स्वयं के बैंक खाते से ही बनाई जानी चाहिए। निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र भरकर सील बंद लिफाफे में वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल कार्यालय में रखे बॉक्स में निर्धारित तिथि को जमा करना होगा। यदि आवेदक आवेदन पत्र लेना चाहते हैं तो वे इस कार्यालय से जारी पत्र के आधार पर रु 1180/- (जी.एस.टी सहित) रेलवे स्टेशन पर जमा कर जारी धनराशि को इस कार्यालय में प्रस्तुत कर कार्य दिवसों (अंतिम तिथि को छोड़कर) में सुबह 10.00 बजे से सायं 17.00 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्र को भरकर मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल, भोपाल के कार्यालय में रखे गये डिब्बे / पेटी में निर्धारित तिथि तथा समय पर डाले जा सकते हैं।

फार्म खरीदने/डाउनलोड करने की अंतिम तारीख- 15.06.2026 को 15.00 बजे तक,
फार्म जमा करने की तारीख - 15.06.2026 को 15.00 बजे तक,
निविदा खोलने की तारीख एवं समय - 15.06.2026 को 16.00 बजे

कृते म.रे.प्र. (वा), पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पावरग्रिड POWERGRID

सूचना

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (डी) के साथ पठित धारा 62 के अंतर्गत और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के नियम एवं शर्तें) रेग्यूलेशन्स, 2024 के साथ पठित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय का आचरण) रेग्यूलेशन्स, 2023 के रेग्यूलेशन 15 (1) (ए) तथा रेग्यूलेशन 23 के अंतर्गत **''पश्चिमी क्षेत्र में एजीसी लोकेशनों पर अतिरिक्त एफओटीई आवश्यकताएँ''** के अंतर्गत परिसंपत्तियों के टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका।

2. उपरोक्त पारेषण प्रणाली के लाभार्थी हैं : (1) मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लि., जबलपुर, (2) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, रायपुर, (3) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, वडोदरा, (4) विद्युत विभाग, गोवा सरकार, पणजी, (5) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मुंबई, (6) डीएनएचडीडी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा।

3. टैरिफ विवरण :
परियोजना की निर्धारित व्यावसायिक प्रचालन की तिथि : 14.07.2025
एफआर विभाजित स्वीकृत लागत : ₹ 320 लाख
अनुमानित पूर्णता लागत : ₹ 394.03 लाख

2024-29 टैरिफ ब्लॉक हेतु पारेषण टैरिफ (₹ लाख में)

परिसंपत्ति सं.	परिसंपत्ति का नाम एवं उसका स्थान	सीओडी	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
परिसंपत्ति-1	एनटीपीसी खरगौन में 02 अदद एसटीएम-16 एमएसपी 3 एफओटीई तथा एनटीपीसी गंधार में 01 अदद एसटीएम-16 एमएसपी 3 एफओटीई	25.12.2025	NA	1.12	11.82	17.94	17.25
परिसंपत्ति-2	वीएसटीपीएस II में 02 अदद एसटीएम-16 एमएसपी 3 एफओटीई, वीएसटीपीएस III में 02 अदद एसटीएम-16 एमएसपी 3 एफओटीई तथा वीएसटीपीएस V में 02 अदद एसटीएम-16 एमएसपी 3 एफओटीई	25.01.2026	NA	2.41	39.65	60.71	58.38
परिसंपत्ति-3	एनटीपीसी मौदा में 01 अदद एसटीएम-16 एमएसपी 3 एफओटीई, एनटीपीसी सीपत में 01 अदद एसटीएम-16 एमएसपी 3 एफओटीई, एनटीपीसी लारा में 01 अदद एसटीएम-16 एमएसपी 3 एफओटीई, एनएसपीसीएल भिलाई में 01 अदद एसटीएम-16 एमएसपी 3 एफओटीई	20.02.2026	NA	1.14	21.12	25.35	24.36

4. इस सूचना और टैरिफ के निर्धारण के लिए बनाए गए आवेदन की एक प्रति आवेदक की वेबसाइट www.powergrid.in पर डाल दी गई है।

5. याचिका में दिए गए टैरिफ के निर्धारण के प्रस्ताव पर लाभार्थी सहित कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव और आपत्तियाँ, यदि कोई हैं, इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर आयोग के ई-फाईलिंग के पोर्टल के माध्यम से अथवा सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, छठा, सातवां एवं आठवां तल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 (या अन्य किसी पते पर, जहाँ आयोग का कार्यालय हो) के पास लिखित रूप में भेज सकता है। साथ ही उसे आवेदक के निगम कार्यालय के पते पर भी एक प्रति भेजनी होगी।

स्थान : गुड़गाँव
तिथि : 22.05.2026

हस्ता./-
वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक)

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कॉरपोरेट कार्यालयः ''सौदामिनी'', प्लाट सं. 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा) फोनः 0124-2571700-719
पंजीकृत कार्यालयः बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 फोनः 011-26560112, 26560121
www.powergrid.in, सीआईएन : L40101DL1989GOI038121

एक महारत्न पीएसयू

PG/CC/Notice-20/Advt-24/2026-27 airads

कार्यालय नगर निगम, भोपाल, जोन क्रमांक 19

निविदा आमंत्रण घोषणा पत्र

क्र. 41/यां.वि./2026 — **भोपाल, दिनांक 27/5/2026**

निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु परसेन्टेज रेट मोहरबंद निविदाएं निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं.

क्र.	ऑनलाइन निविदा क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	ठेकेदार श्रेणी	निविदा क्रय करने का अंतिम दिनांक	समय
1.	2026_UAD_502590_2	Providing and Laying of Paver Block at Park Near Temple at Jharneshwar Colony and Excel Estate Colony Near Temple Ward 85, Zone 19 (Second Call)	5,88,118/-	as per Centralized Registration	1-6-2026	6.00 PM
2.	2026_UAD_477028_3	Const. of Chainlink Fencing at Community Bhawan Kanha Kunj Jhuggi Basti, Ward 81, Zone 19 (Third Call)	8,60,056/-	as per Centralized Registration	3-6-2026	6.00 PM

नियम व शर्तें :- 1. निविदा प्रपत्र की निर्धारित राशि एवं धरोहर राशि एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे एवं अन्य समस्त विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in **पर देखी जा सकती है.**

सहायक यंत्री (सिविल)
नगर निगम, भोपाल

नि.क्र. 244/026/027

ROHA HOUSING FINANCE — GROW WITH YOUR OWN HOME

रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट संख्या 1117 और 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301।

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ता को सूचना।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (आरएचएफपीएल) से ऋण लेने वाले निम्नलिखित उधारकर्ता आरएचएफपीएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ता(कों) ने आरएचएफपीएल को अचल संपत्ति/संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकर्ता/कों द्वारा आरएचएफपीएल को आज तक बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। उधारकर्ता(कों) के साथ-साथ आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि आरएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के सामने इंगित बकाया राशि चुकाने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सुरक्षित लेनदार को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों से लेन-देन न करें।

स. क्र.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/ऋण खाता संख्या/शाखा का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति(यों) (अचल संपत्ति/संपत्तियों) का विवरण
1	LAN: LASEHRLPCM000005005549 / शाखाः सीहोर 1. अफजल पठान, 2. रफीका बी पत्नि मुंशी बेग, 3. रेशमा पत्नि अफजल पठान, 4. शेरू खान पुत्र मुस्तकिन खान, सभी पता1: वार्ड क्र.12, कुंजा काली के पास शुजालपुर, कस्बा पचोर, तहसील पचौर, जिला राजगढ़, म.प्र.-465667, भारत। 2 पताः (भवन नं.86 वार्ड नं.12, कुंजा खली के पास, बोंडा नाका, कस्बा पचौर, तहसील पचौर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश 465667, भारत।	14.05.2026 और रू. 455184/- 13.05.2026 तक	संपत्ति का वह सब हिस्सा और पार्सल असर संपत्ति का पताः (भवन नंबर .86 वार्ड नंबर 12, कुंजा के पास खली, बोंदा नाका, कस्बा पचोर, तहसील पचोर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश-465667, भारत)
2	LAN: LASONKLPRS000005018861 / शाखाः सोनकच्छ 1. अश्वनी सिंह, 2. कृष्णा कुँवर, दोनों पता 1: मकान नंबर 102 जोले जोले सोनकच्छ देवास, देवास, म.प्र., देवास, म.प्र.-455118, भारत) पता 2: (पीएच नंबर 09, सर्वेक्षण नंबर 559, वार्ड नंबर 06, मकान नंबर 102,257, ग्राम जोले, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मप्र, राजगढ़, मध्य प्रदेश465669, भारत)	14.05.2026 और रू. 1340309/- 13.05.2026 तक	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा संपत्ति का पताः पीएच नं. 09, सर्वे नंबर 559, वार्ड नंबर 06, मकान नंबर 102,257, ग्राम जोले, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश, राजगढ़, मध्य प्रदेश- 465669, भारत।
3	लैनः LASEHRLPRS000005009113 और HLSEHRSCPR000005009060 शाखाः सीहोर, 1. चतर सिंह वर्मा, 2. ममता बाई पत्नि चतर सिंह, 3. मानकुंवर, 4. लालजी भाई मगन भाई पंड्या सभी पता 1: वार्ड नं.01, तेह. इछावर निपानिया, सीहोर म.प्र. 466115, भारत। पता 2: भूमि सर्वेक्षण संख्या 950,951/5 के एक भाग के प्लॉट पर तैयार मकान ए पार्ट,पी.एच.नं.17,वार्ड नं.08,तहसील इछावर,जिला. सीहोर (म.प्र.), भोपाल, मध्य प्रदेश-466115, भारत)	14.05.2026 और रू. 637636/- और रू. 696908/- 13.05.2026 तक	संपत्ति का वह भाग, जिसका पता इस प्रकार हैः पताः पृथ्वी के एक भाग पर बना हुआ तैयार मकान सर्वेक्षण संख्या 950, 951/5 भाग, मकान संख्या 17, वार्ड संख्या 08, तहसील इछावर, जिला सीहोर (मध्य प्रदेश), मध्य प्रदेश - 466115, भारत।
4	LAN: HLSEHRSCRE000005008170 / शाखाः सीहोर 1. मोहन पुत्र रमेश, 2. रेखा पत्नि मोहन, 3. नितिन मीना, 4. पूजा मीना, सभी पता1:2 मिड्ड खेड़ी सिराडी सीहोर, मध्य प्रदेश-466651, भारत। पता 2: भूमि सर्वेक्षण संख्या 122/2, गांव का एक हिस्सा, प्लॉट पर मकान का निर्माण मिड्ड खेड़ी, ग्राम पंचायत निवारिया, तहसील श्यामपुर एवं जिला सीहोर (म.प्र.), म.प्र.-466651, भारत।	14.05.2026 और रू. 480745/- 13.05.2026 तक	संपत्ति का वह भाग, जिसका पता इस प्रकार हैः भूमि सर्वेक्षण संख्या 122/2 के प्लॉट अ पर निर्मित मकान, ग्राम मिड्ड खेड़ी, ग्राम पंचायत निवारिया, तहसील श्यामपुर और जिला सीहोर (मध्य प्रदेश), मध्य प्रदेश 466651, भारत।
5	LAN: HLBHPLSCON000005000339 / शाखाः भोपाल क्लस्टर 1. नरेंद्र सिंह, 2. आशा कुँवर, दोनों पता 1: जगराम निवास, गंगा आश्रम, भोपाल, मध्य प्रदेश 466001, भारत। 2. पता : प्लॉट नं. 113, खसरा नं. 138/1, हल्का नं. 47, भोपाल, मध्य प्रदेश-466001, भारत।	14.05.2026 और रू. 532650/- 13.05.2026 तक	संपत्ति का वह भाग, जिसका पता इस प्रकार हैः प्लॉट संख्या 113, खसरा संख्या 138/1, हल्का संख्या 47, भोपाल, मध्य प्रदेश- 466001, भारत।
6	LAN: HLSEHRSCRE000005004529 / शाखाः सीहोर 1. राजेश पुत्र किशोरी लाल, 2. पुष्पा बाई पत्नि राजेश दोनों पता 1: बिस्तारिया पुरा आष्टा, जिला। सीहोर म.प्र. 466116, भारत। 2 पता : मकान नं. 54, वार्ड नं. 01, (बिस्तारियापुर अलीपुर), आष्टा, तहसील आष्टा, जिला-सीहोर, मध्य प्रदेश-466116, भारत।	14.05.2026 और रू. 823946/- 13.05.2026 तक	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा जिसका पता हैः मकान संख्या 54, वार्ड संख्या 01, (बिस्तारियापुर अलीपुर), आष्टा, तहसील - आस्था, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश- 466116, भारत।
7	LAN: LAASHTLPRS000005015877 / शाखाः आष्टा 1. राकेश मालवीय, 2. अलक मालवीय, दोनों पता1: जैन मंदिर रोड बिस्तारियापुरा, अलीपुर, आष्टा म.प्र.-466116, जिला. सीहोर म.प्र.-466116, भारत।, पता 2: मकान नं. पर स्थित संपत्ति। 39, वार्ड नं. 02, अलीपुरा अष्ट तहसील आष्टा एवं जिला सीहोर, म.प्र.-466116, भारत।	14.05.2026 और रू. 703158/- 13.05.2026 तक	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा जिसका पता हैः मकान संख्या 39, वार्ड संख्या 02, अलीपुरा आष्टा-तहसील आष्टा और जिला सीहोर, (मध्य प्रदेश), मध्य प्रदेश 466116, भारत।
8	LAN: LASEHRLPHB000005005046 / शाखाः सीहोर 1. संदीप परमार, 2. शारदा बाई पत्नि चंदर सिंह।, दोनों पता 1: पोस्ट लहार खेड़ा, तहसील गुलाना, ग्राम नोलाया, शाजापुर, शाजापुर, म.प्र.-465001, भारत।, पता 2: 624 वर्ग फीट का प्लॉट, सर्वे क्रमांक 1046/2, कस्बा शुजालपुर, मण्डी, जिला शाजापुर मप्र, शाजापुर, म.प्र.-465001, भारत।	14.05.2026 और रू. 792446/- और रू. 396118/- 13.05.2026 तक	संपत्ति का वह सब हिस्सा और पार्सल असर संपत्ति का पताः प्लॉट का माप 624 वर्गफुट, सर्वे नं 1046/2, कस्बा शुजालपुर मण्डी, जिला शाजापुर एमपी, शाजापुर, मध्य प्रदेश465001, भारत।
9	LAN: HLSHUJPPSC000005015474 / शाखाः शुजालपुर 1. संतोष पुत्र शंकर लाल, 2. रीना पत्नि संतोष, दोनों पता 1: सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे, पोलाय कलां, शाजापुर, म.प्र.-465001, भारत। पता 2: ख.नं. 2718/2/1/1/3, ग्राम पोलायकलां, तह. पोलाय कलां, जिला शाजापुर, एमपी-465116, शाजापुर, म.प्र.-465001, भारत।	14.05.2026 और रू. 356412/- 13.05.2026	संपत्ति का वह सब हिस्सा और पार्सल असर संपत्ति का पताः खसरा नंबर 2718/2/1/1/3, ग्राम पोलायकलां, तहसील पोलाय कलां, जिला शाजापुर, एमपी-465116, शाजापुर, मध्यप्रदेश-465001, भारत।
10	LAN: HLSEHRSCON000005005431 / शाखाः सीहोर 1. शेलेंद्र चंद्रवंशी, 2. अर्पिता वर्मा दोनों पता 1: ग्राम रनायल पोस्ट रनायल, शाजापुर, मध्य प्रदेश 465337, भारत। 2 पता : भूमि सर्वेक्षण संख्या. 1244 एवं 1244/1, ग्राम रनायल, तहसील कालापीपल, मध्य प्रदेश-465337, भारत।	14.05.2026 और रू. 1406634/- 13.05.2026	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा जिसका पता हैः भूमि सर्वेक्षण संख्या 1244 और 1244/1, ग्राम रानायल, तहसील कलापीपाल, जिला - शाजापुर मध्य प्रदेश- 465337, भारत।
11	LAN: LASEHRLPRS000005007265 / शाखाः सीहोर 1. सुखराम मेवाड़ा, 2. सुशीला मेवाड़ा, दोनों पता 1: ग्राम मगरखेड़ा सीहोर, सीहोर, मध्य प्रदेश 466651, भारत। 2 पताः भूमि सर्वेक्षण का एक हिस्सा प्लॉट पर तैयार घर नं.177/1, पी.एच.नं. 47,ग्राम मगरखेड़ा पंचायत मगरखेड़ा, तह. श्यामपुर एवं जिला सीहोर (म.प्र.), म.प्र.-466651, भारत।	14.05.2026 और रू. 1022575/- 13.05.2026	संपत्ति का वह भाग, जिसका पता इस प्रकार हैः पताः प्लॉट ए के एक भाग पर बना हुआ तैयार मकान सर्वे संख्या 177/1, फोन नंबर 47, ग्राम मगरखेड़ा पंचायत, मगरखेड़ा, तहसील श्यामपुर एवं जिला सीहोर (म.प्र.), मध्य प्रदेश- 466651, भारत।
12	LAN: LASONKLPRS000005020361 / शाखाः सोनकच्छ 1. विशाल भाटी, 2. हरि नारायण पुत्र देवसिंह, 3. अलका बाई दोनों पता 1: बैगेर, सीहोर, भोपाल, मध्य प्रदेश-466116, भारत, भोपाल, मध्य प्रदेश-466116, भारत। पता 2: पीएच नं. 46, सर्वेक्षण क्रमांक 288/2, ग्राम बागेर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, एमपी, भोपाल, मध्य प्रदेश-466116, भारत।	14.05.2026 और रू. 1348800/- 13.05.2026	संपत्ति का वह भाग और हिस्सा जिसका पता हैः पीएच नं. 46, सर्वे नंबर 288/2, ग्राम बागेर, तहसील अष्टा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश- 466116, भारत।

दिनांक - 28.05.2026, स्थान - भोपाल — प्राधिकृत अधिकारी, रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड